JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में जातीय व्यवस्था के सन्दर्भ में संवैधानिक विकास में अम्बेडकर दर्षन का विवेचन

डॉ. वर्षा सागोरकर,
सह. प्राध्यापक राजनीति विज्ञान
शास. हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल

''हमारा काम पूरा हो चुका है। मेरी कामना है कि कल सूर्योदय हो, नये भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता के सूर्य का उदय होना बाकी है।'[1]

जातियॉ हिन्दू सामाजिक संरचना की आधारषिला है, जाति व्यवस्था की निरंकुषता से उपनिषदों की उच्च मीमांसा एवं गीता की नीतियॉ शब्दों तक ही सीमित हो गयी। सम्पूर्ण निर्जीव व सजीव जगत के एकतत्व पर बल देने वाले भारत ने ऐसी सामाजिक व्यवस्था का पोषण किया, जिसने अपनी समस्त संतानों को विभिन्न विभागों में विभक्त कर शताब्दियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से अलग कर दिया। भारत में समता का अभाव देखने को मिलता है। राजनीतिक जीवन में समता अवष्य मिली है किन्तु आर्थिक–सामाजिक जीवन में विषमता का वर्चस्व है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इस विषमता को समता में परिवर्तित करने हेतु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् एवं संविधान निर्माण तक विभिन्न आन्दोलनों, अधिनियमों, अनुच्छेदों, ग्रंथों के माध्यम से अपना सम्पूर्ण जीवन स्वाहा कर दिया किन्तु फिर भी जातियों के कारण उत्पन्न विभेद को भारतीय संस्कृति से पूर्णतः समाप्त करने में वे सफल नहीं हो सके।

प्राचीनकाल में जाति प्रथा विभिन्न कार्यकलापों के आधार पर निष्चित थी, किन्तु कालान्तर में इसे जन्म के आधार पर स्वीकार किया गया। हिन्दू धर्म ग्रंथ–ऋग्वेद, तैतरीय संहिता, गीता तथा नारद स्मृति आदि में चार प्रकार के सेवक, पांचवें दास व दासों के पंद्रह प्रकारों का उल्लेख मिलता है, किन्तु जातियों का कहीं भी उल्लेख नहीं। यदि स्मृतिकाल के पूर्व जातियों की उत्पत्ति हो चुकी होती तो नारद संहिता(स्मृति) में इसका उल्लेख अवष्य कहीं ना कहीं मिलता। श्वेत यजुर्वेद के अध्याय 16 में भी कई प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है किन्तु जातियों का नहीं।[2]

पुरूष सुक्त के ऋग्वैदिक स्त्रोत (जिसमें आदितम चातुर्वर्ण का उल्लेख है) में कहा गया है कि ''प्राचीन युग में मुख से ब्राम्हण, दो भुजाओं से क्षत्रिय, दो जॅघाओं से वैष्य व पैरों से शुद्र जाति की उत्पत्ति हुई है।'' परन्तु मनु के कर्म प्रधान जाति व्यवस्था को अपनाया था। ''षुद्रों ब्राम्हणतामेति, ब्राम्हण रचेति शुद्रताम, क्षत्रियां ज्जातमेवस्तु विधा दुबे स्यात चैव च।'' मनु संहिता की इस प्रगतिषील धारणा को महाभारत के शांति पर्व में भी अभिव्यक्त किया गया। विष्वामित्र जैसे क्षत्रिय ने अपनी तप व तपस्या के बल पर ब्राम्हण पद पाया, ऋग्वेद के चार सूत्रों के रचयिता कवषएलूष को (दासीपुत्र) सूक्ता रचनाकर के कारण ब्राम्हण पद मिला, छंदोग्य उपनिषद का सत्यकाम जबाल (दासीपुत्र) को पाषाणयुग में ब्रम्ह का नाम दिया गया।

सतत ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के कारण वर्ण व जाति व्यवस्था की जड़े भारत में अपना स्थान बनाती चली गई। सिकन्दर महान, गाजीखान, नादिरषाह, के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न राजनीतिक उथल–पुथल तथा बौद्ध, जैन जैसे जाति विरोधी धर्मों का प्रभाव, अद्वैत दर्षन और 19वीं सदी के विभिन्न आंदोलन भी जाति व वर्ण व्यवस्था के नींव को हिला नहीं सकें।

अम्बेडकर ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो अध्ययन किया उसमें पाया कि ''यह मात्र मानव निर्मित व्यवस्था है।'' सभ्यता के प्रारम्भ में आर्यों का मात्र एक ही वर्ग था। जब आर्यों व अनार्यों के मध्य युद्ध हुआ तो आर्यों ने अनार्यों को पराजित कर वन जाने हेतु विवष कर दिया। जिन्हें वहॉ कुछ लोगों ने अपना दास बना लिया। ऋग्वेद में अनार्यों को दस्यू कहा गया। गुण कर्मानुसार व्यवस्था के फलस्वरूप आर्यों ने अनार्यों को पराजित कर दास बनाया एवं ब्राम्हण, वैष्य तथा क्षत्रिय की सेवा करना इनका धर्म निष्चित किया। इसी कारण अस्पृष्यता, ऊॅचनीच जैसी तुच्छ भावनाओं का विकास हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने ''डिस्कवरी ऑफ इंडिया'' में लिखा है कि ''हिन्दुस्तान में ब्राम्हण वर्ग ने विचारकों व दार्षनिकों को उत्पन्न करने के अतिरिक्त स्वयं शक्ति भी प्राप्त कर ली। इस तरह अपने को सुरक्षित कर निहित स्वार्थों की पूर्ति करते रहें।''[3]

प्रमुख शब्द :– जाति व्यवस्था, अस्पृष्यता, छुआ–छूत, समानता, अधिकार एवं अधिनियम।

अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक अछूत कौन कैसे में बताया है कि इस जाति को वेदों मे अन्त्यज ;गांव का अंत या सीमा का अंतद्ध दलित ;दला हुआ दयनितद्ध हरिजन ;गुजराती कवि नरसी मेहता व महाकवि तुलसीदास हुआ द्ध अनुसूचित जाति या परिगणित जाति(भारत सरकार अधिनियम, 1935) आदि विभिन्न नामों से अलंकृत किया गया है। सम्पूर्ण इतिहास में मात्र मौर्य कालीन व्यवस्था मे चातुर्वर्ण का विध्वंस देखा गया। जैन, बौद्धकालीन भारत में दासों की मुक्ति हेतु नियमों व कानूनों का प्रावधान रखा गया था।

स्वतन्त्रता से पूर्व अम्बेडकर द्वारा शूद्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए काफी प्रयास किये गये। 1919 के अधिनियम में शूद्रों हेतु पृथक निर्वाचिका व आरक्षण की मांग की। हितकारिणी(बहिष्कृत) सभा की स्थापना 'मूक नायक' नामक पत्रिका का प्रकाषन 1927 में द्वितीय आंग्ल– मराठा युद्ध में मारे गये सैनिकों के लिए 'कोरेगांव विजय स्मारक समारोह' यह सभी इसी संघर्ष की मात्र एक कड़ी थी। साइमन कमीषन में भारतीय नेता के रूप में दलितों को मंत्रिमण्डल में स्थान प्रदान करने हेतु संघर्ष किया। गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता हेतु किये गये अव्हान में अम्बेडकर स्वतन्त्रता के साथ–साथ भारत को अस्पृष्यता, छुआछूत तथा जाति प्रथा के दंष से मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने 1927 का महद तालाब सत्याग्रह और 1930 का कालामंदिर सत्याग्रह चलाया, क्योंकि महाराष्ट्र में मंदिरों, तालाबों व कुँओं में महारों (षूद्र) का प्रवेष वर्जित था।[4]

1931 की जनगणना में उन्हें अलग जाति के रूप में स्वीकार किया गया। गांधी जी के द्वारा चलाए गये सत्याग्रह से अम्बेडकर सहमत नहीं थे क्योंकि उस सत्याग्रह में अछूतों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने का कोई प्रष्न ही नहीं उठाया गया था। 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शूद्रों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग को 1932 में स्वीकार किया गया। 1932 (24 सितम्बर) के पूना पैक्ट में कुछ सीटों का आरक्षण, पूजा का अधिकार, छुआछूत आदि को समाप्ति हेतु प्रयास किये गये। अतएव उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर होता चला गया। परन्तु ये सभी प्रयास भी अम्बेडकर को संतुष्ट नहीं कर सके। जो अन्तोगत्वा अम्बेडकर को हिन्दू धर्म त्यागने का एक प्रमुख कारण बना। चूंकि मानव व समाज को इस दंष से मुक्त करने का दायित्व लगभग 500 ई. पूर्व गौतम बुद्ध जैसे विचारकों ने अपनी वैचारिक आध्यात्मिक चेतना से करने का प्रयत्न किया।

अस्पृष्यता व हिन्दू धर्म पर कटाक्ष के पीछे अम्बेडकर का मन्तव्य था कि वेदों से निर्मित गुणाकर्मानुसार जाति व्यवस्था को अपनाया जावे अर्थात जो व्यक्ति जिस भी तरह का कर्म करे उसे उस जाति का माना जाए। इसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण की आवष्यकता ही नहीं अर्थात कर्म के आधार पर जाति निष्चित की जावे। अम्बेडकर ने लिखा है कि ''यदि हिन्दू धर्म उनका धर्म होता तो उसे सामाजिक एकता का धर्म होना चाहिए। मात्र हिन्दू संहिता का संषोधन कर मंदिरों में प्रवेष दिलाना ही पर्याप्त नहीं बल्कि चातुर्वर्ण के सिद्धांत को ही समाप्त करना होगा।'' संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में संभावना व्यक्त की गई कि 'स्वतंत्र भारत में जाति धार्मिक सम्प्रदाय की भांति शाष्वतता प्राप्त करेंगी।'[8]

भारतीय संविधान समानता व बंधुत्व के संकल्पना पर आधारित है जिसमें जाति पर आधारित विभेद को प्रतिषिद्ध किया गया। समानता की स्थापना वास्तविकता में करना है तो शूद्रों को विषेष सुविधाएँ प्रदान करना ही होगा तभी इस दुर्बल पक्ष का विकास होगा। संविधान की विभिन्न धाराओं जैसे 14,15,16,17,24 में अस्पृष्यता का पूर्णतः उन्मूलन किया गया। संसद ने अस्पृष्यता अपराध अधिनियम 1955 जो वर्तमान में

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हो गया है में इस शक्ति का पूर्णतः प्रयोग किया है। अम्बेडकर निम्न वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने की आवष्यकता के प्रति पूर्णतः सचेत थे। जहॉ अनुच्छेद 15,16,29 शैक्षिक संस्थाओं के नियोजनों व अन्य सुविधाओं में समान पहुंच का अवसर देता है वहीं 16(4) इसकी गारण्टी प्रदान करता है। प्रथम संविधान संषोधन 1951 के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 15 में समान खण्ड जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 15 व 16 में विषेष व्यवस्था की गई, (षैक्षाणिक स्तर पर), साथ अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देषित करता है कि कमजोर वर्गों की विषेष देखभाल की जावे। अनुच्छेद 335 में केन्द्र व राज्य में इन वर्गों के लिए प्रषासिक सेवा में भी स्थान सुरक्षित रखने का प्रावधान दिया गया है।

अनुच्छेद 275 में अनुसूचित जातियों के विकास हेतु बनायी गई योजनाओं में राज्यों को विषेष अनुदान, तो अनुच्छेद 338 इनकी रक्षा हेतु विषेष पदाधिकारी की नियुक्ति की बात करता है। 1990 में 65वें संवैधानिक संषोधन में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि अद्यतन बढ़ते ही गई है। परन्तु इस सबसे जातिगत समस्या समाप्त नहीं हो पायी। न्यायमूर्ति एस.सी. वाड ने अपनी पुस्तक ''कास्ट एण्ड लॉ'' में लिखा कि ''जातिविहिन समाज की स्थापना संविधान में सकारात्मक रूप में घोषित उद्देष्य में नहीं रखी गई। जिस प्रकार अनुच्छेद 17 में अस्पृष्यता का उन्मूलन किया गया और 1978 में 44वें संवैधानिक संषोधन द्वारा मूल अधिकार सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, उसी प्रकार संषोधन कर जाति प्रथा का भी उन्मूलन किया गया।'' यदि ऐसा होता तो अनुच्छेद 32 जाति व्यवस्था उन्मूलन संबंधी अधिकार के विरूद्ध प्राप्त होता। एम.सी.गन्स के अनुसार ''समानता का प्रयोग तीन आधार पर किया जाता हैः— 1 अवसर 2. व्यवहार 3. परिणाम। प्रथम, दो को यदि हम मान भी ले फिर भी तीसरे बिन्दू के प्रति संदेह है।[6]

1955 का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत धारा 3 धार्मिक अधिकार, धारा 4 सामाजिक अधिकार, धारा 6 वस्तुएं बेचने व सेवाएं प्रदान करना, धारा 7 अस्पृष्यता के लिए दण्ड, अवैध अनिवार्य श्रम को वैध अपराध का दृष्प्रेरण, आदि को सम्मिलित किया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1889) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 34, अध्याय 3,4,5 5क धारा 149, अध्याय 23 के उपबंध, राज्य सरकारों के विषेष लोक अभियोजन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2005 द्वारा भी इस वर्ग को असमानता को समाप्त करने के सराहनीय प्रयास किए गये हैं, एवं वर्तमान तक भी किये जा रहे हैं। दलित वर्गों को मुख्यधारा में जोड़ने का स्वप्न अम्बेडकर ने देखा, हम पाते हैं कि विभिन्न नियमों, अनुच्छेदों, धाराओं, में इसे स्थान प्रदान कर भारतीय संस्कृति से जातिवादी व्यवस्था का उन्मूलन का प्रयास ही है। ''सकारात्मक कार्यवाहियॉ इसलिए उचित नहीं हैं कि जिन्हें वरीयतापूर्वक सुविधा दी जाती है वे उस लाल के हकदार है, चाहे वे भूत के विभेदीकरण के कारण या अन्य कोई कारण हो, बल्कि ऐसा इसलिए है कि उन्हें सहायता देना, एक राष्ट्रीय समस्या पर प्रहार का प्रभावकारी उपाय है।''

अनुच्छेद 17 में अम्बेडकर ने जो प्रारूप दिया, वह रैन्क, जन्म, लिंग, धर्म, व्यक्ति, परिवार या धार्मिक रीति–रिवाज आदि से उत्पन्न किसी भी विषेषाधिकार या निर्योग्यता को समाप्त किया जाना था। बिना चार्तुवर्ण या जाति का नाम लिये अम्बेडकर ने इन पर आधारित निर्योग्यताओं व विषेषाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। किंतु ना तो इसे प्रारूप समिति और न ही संविधान समिति ने पूर्णतः स्वीकार किया यदि स्वीकार किया होता तो यह सामाजिक समानता या सामाजिक न्याय की धारा के सबसे अधिक करीब होता। वर्तमान अनुच्छेद 17 के. एम. मुंषी के प्रारूप पर आधारित है।[8]

सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा था कि ''हमें किसी अन्य संविधान की जानकारी नहीं जिसमें इस तरह (संरक्षाणात्मक विभेदीकरण) की गारन्टी दी गई हो। यह हमारी सामान्य विचारधारा है एवं इस प्रकार की गारंटी एक नवीन आविष्कार साबित होगी।''[9]

संविधान के अनुच्छेद 17 में उन्मूलन के साथ–साथ सतीप्रथा व बाल विवाह (सामाजिक असमानता) के उन्मूलन की भी बात कही गई है। ब्रिटिष सरकार ने 1941 में हिन्दू कोड बिल पर राव कमेटी का गठन किया था जिसे कुछ संषोधन व सुधार के उपरान्त 1948 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया परन्तु विरोध के कारण इसे हिन्दू विरोधी विधेयक कहा गया। अम्बेडकर इस बिल के माध्यम से हिन्दू धर्म की विसंगतियों को समाप्त करना चाहते थे जिसके कारण अम्बेडकर को आधुनिक 'मनु' व 20वीं सदी के स्मृतिकार की संज्ञा दी गई। इस कारण उन्हें मंत्री मण्डल से 1951 में त्याग पत्र देना पड़ा। पश्चात् में हिन्दू कोड बिल को चार भागों में कर संसद में प्रस्तुत किया गया–

1. हिन्दू विवाह विधेयक 18 मई 1955
2. हिन्दू उत्तराधिकार नियम – 17 जून 1956
3. हिन्दू अल्प व्यवस्था व संरक्षण विधेयक 2 अगस्त 1956
4. हिन्दू दत्तक– ग्रहण एवं निर्वाह विधेयक 14 दिसम्बर 1956

डॉ. अम्बेडकर अपनी इस धारणा पर कायम थे कि यदि हमें एक राष्ट्र के रूप में संगठित होना है और जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना करनी है तो जाति व्यवस्था का उन्मूलन आवष्यक है। दलितों के उन्मूलन के लिए विगत 65 वर्षों से प्रयास किये जा रहे हैं। संविधान में इन्हें दोहरे अधिकार भी दिये हैं। एक सामान्य नागरिक के रूप में प्राप्त समस्त अधिकार व दूसरे दलित व अनुसूचित जाति, जनजाति के रूप में प्राप्त संरक्षण व अधिकार। वे चाहते थे कि दलित वर्ग का उत्थान इस प्रकार किया जावे कि वे समाज की मुख्य धारा में पूरी तरह घुल मिल जावे और इनकी पृथक पहचान संभव ना हो सके इससे समाज में समन्वय व एकात्मकता स्थापित हो सकेगी। अमेरिका में भी श्वेत बहुसंख्यक वर्ग द्वारा नीग्रों को दिया जाने वाला संरक्षणात्मक विभेदी करण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

''सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। जो सुधारक, समाज को ललकारता है वह सरकार का विरोध करने वाले राजनीतिज्ञों से कहीं अधिक निर्भीक है।''[10]

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. संजीवनी मेहरदा – डॉ. अम्बेडकर युग सृष्टा पुरूष – अम्बेडकर एवं सामाजिक न्याय पृ.सं. 32, रावत पब्लिकेषन, जयपुर, दिल्ली, 1992।
2. शंभुनाथ – सामाजिक क्रांति के दस्तावेज, वाणी प्रकाषन, 905–06।
3. डॉ. अम्बेडकर – इनिहिलेषन आफ कॉस्ट, पृ.सं. 81।
4. क्यों मैं हिन्दू – इलेस्ट्रेटेड वीकली, दि. 21–11–75, पृ.सं. 22।
5. डॉ. एल.बी. मेहरदा – अम्बेडकर व सामाजिक न्याय, रावत पब्लिकेषन
6. विजय पुजारी – डॉ. भीमराव अम्बेडकर जीवन दर्षन, गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली, 2005, पृ.सं. 31–32।
7. रोनाल्ड एम. डवार्किन (विधि संस्थान नई दिल्ली द्वारा प्रकाषित विधि व सामाजिक परिवर्तन में लेख, खोये अवसर, पृ.सं. 187।
8. भगवान दास म्क जे`चवाम ।उइमकांत, पृ.सं. 75।
9. अनिरूद्ध प्रसाद – आरक्षण सामाजिक न्याय एवं राजनैतिक सन्तुलन, रावत पब्लिकेषन, जयपुर, 1991, पृ. सं. 44, 142, 143।
10. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर – व्यक्तित्व व कृतित्व, समता साहित्य सदन, जयपुर, 1933, पृ.सं. 136।
11. एम. सी. वाड – कॉस्ट एण्ड द लॉ इन इण्डियॉ, 1985, पृ.सं. 50।
12. थानसिंह जाटव – अम्बेडकर व सामाजिक न्याय– समाज व्यवस्था व प्रदूषण, पृ.सं. 168।